



MPLADS फंड पर CIC का क्षेत्राधिकार

प्रलिस के लयि:

[सूचना का अधिकार \(RTI\) अधनियम](#), [केंद्रीय सूचना आयोग \(Central Information Commission- CIC\)](#), [राज्य सूचना आयोग \(State Information Commission- SIC\)](#), [MPLADS योजना](#) ।

मेन्स के लयि:

केंद्रीय एवं राज्य सूचना आयोग का अधिकार क्षेत्र एवं शक्तयिों, केंद्रीय सूचना आयोग में सुधार, अप्रभावी सूचना का अधिकार अधनियम, 2005 का देश में सुशासन तथा पारदर्शता एवं जवाबदेही पर प्रभाव ।

[स्रोत: इंडयिन एक्सप्रेस](#)

चर्चा में क्यो?

हाल ही में दलिली उच्च न्यायालय ने फैसला दया है क [केंद्रीय सूचना आयोग \(Central Information Commission- CIC\)](#) को [सांसद स्थानीय क्षेत्र वकिस योजना \(Members of Parliament Local Area Development Scheme- MPLADS\)](#) के तहत धन के उपयोग पर टपिणी करने का कोई अधिकार नहीं है ।

न्यायालय के फैसले की पृष्ठभूमक्या है?

मुख्य घटनाएँ:

- वर्ष 2018 में [केंद्रीय सूचना आयोग \(CIC\)](#) के एक आदेश में कुछ सांसदों द्वारा कार्यकाल के अंतमि वर्ष तक अपने MPLAD नधिको रणनीतिक रूप से बचाने के बारे में चता जताई गई थी । CIC को संदेह था क चिनावों के दौरान अनुचति लाभ उठाने के लयि इस रणनीतिका इस्तेमाल कया गया था ।
- इसने [सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यानवयन मंत्रालय \(MoSPI\)](#) को सुझाव दया था क धन के इस “दुरुपयोग” को रोका जाए और पाँच साल की अवधमि प्रत्येक वर्ष के लयि धन को समान रूप से वतारति करने के लयि दशा-नरिदेशों को लागू कया जाए ।
- इसके बाद [सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यानवयन मंत्रालय \(MoSPI\)](#) ने [सूचना का अधिकार \(RTI\) अधनियम](#) के तहत आवेदन को लेकर CIC के फैसले को दलिली [उच्च न्यायालय](#) में कानूनी चुनौती दी ।

न्यायालय का नरिणय:

- दलिली उच्च न्यायालय ने कहा क [MPLADS](#) के तहत सांसदों द्वारा नधिके उपयोग पर टपिणी करने का [केंद्रीय सूचना आयोग](#) को कोई अधिकार नहीं है ।
- [RTI अधनियम](#) का दायरा सार्वजनिक प्राधिकरणों के नरितरण में सूचना तक पहुँच प्रदान करने तक सीमति है ।
 - न्यायालय ने कहा क [RTI अधनियम की धारा 18](#) के अनुसार, CIC केवल RTI अधनियम के तहत मांगी गई सूचना से संबंधति उन मुद्दों या कसिी अन्य मुद्दे से नपिट सकता है, जसिमें आवेदक द्वारा मांगी गई सूचना का दुरुपयोग होता हो ।
- हालाँक न्यायालय ने CIC के आदेश के उस हसिसे को बरकरार रखा है, जसिमें उसने सार्वजनिक प्राधिकरण को [RTI अधनियम](#) के तहत सांसद-वार, नरिवाचन क्षेत्र-वार और कार्य-वार नधियिों का ववरण प्रकाशति करने का नरिदेश दया था ।

MPLAD योजना क्या है?

परचिय:

- यह वर्ष 1993 में घोषति [केंद्रीय क्षेत्र](#) की एक योजना है ।

उद्देशय:

- यह [सांसद सदस्यो \(MP\)](#) को मुख्य रूप से उनके नरिवाचन क्षेत्रों में पेयजल, प्राथमक शकिसा, सार्वजनक स्वास्थय, स्वच्छता और सडक आदि जैसे क्षेत्रों में सतत् सामुदायक परसंपत्तयिों के नरिमाण पर ध्यान केंदरति करते हुए वकिसात्मक प्रकृता के कार्यो की

सफ़ारिश करने में सक्षम बनाता है।

- जून 2016 से MPLAD नधिका उपयोग **सवचछ भारत अभियान, सुगम्य भारत अभियान**, वर्षा जल संचयन के माध्यम से जल संरक्षण और **सांसद आदर्श ग्राम योजना** आदि जैसी योजनाओं के कार्यान्वयन के लिये भी किया जा सकता है।

■ कार्यान्वयन:

- MPLAD के अंतर्गत प्रक्रिया की शुरुआत सांसदों द्वारा **नोडल ज़िला प्राधिकरण** को कार्यों की सफ़ारिश करने से होती है।
- संबंधित नोडल ज़िला प्राधिकरण, संसद सदस्यों द्वारा **अनुशंसित कार्यों को क्रियान्वति करने** तथा योजना के अंतर्गत नष्टिपादति किये गए व्यक्तितगत कार्यों और व्यय की गई राशिका ब्यौरा रखने के लिये **ज़मिमेदार** है।

■ कार्यकरण:

- प्रत्येक वर्ष सांसदों को 2.5 करोड़ रुपए की दो कसितों में **5 करोड़ रुपए** मिलते हैं। MPLADS के तहत मिलने वाली **धनराशिकाभी भी समाप्त नहीं** होती।
- **लोकसभा** सांसदों को अपने लोकसभा क्षेत्र में ज़िला प्रशासन को परियोजनाओं की सफ़ारिश करनी होती है, जबकि **राज्यसभा** सांसदों को इसे उस राज्य में खर्च करना होता है जसिने उन्हें सदन के लिये चुना है।
- राज्यसभा और लोकसभा दोनों के **मनोनीत सदस्य** देश में कहीं भी कार्यों की सफ़ारिश कर सकते हैं।

■ चतिएँ:

- **संघवाद का उल्लंघन:** MPLADS **स्थानीय स्वशासी संस्थाओं** के अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करता है, जसिसे संवधान के भाग IX और IX-A में नरिधारति सदिधांतों का उल्लंघन होता है।
- **कार्यान्वयन में खामयिँ:** MPLAD योजना सांसदों को **संरक्षण के स्रोत के रूप में नधियिँ का उपयोग** करने की अनुमति देती है, जसिका वे अपने वविकानुसार उपयोग कर सकते हैं।
 - **नयितरक एवं महालेखा परीक्षक (Comptroller and Auditor General- CAG)** ने ववित्तीय कुप्रबंधन और व्यय में **कृत्रमि वृद्धि** के उदाहरणों को उजागर किया है।
 - इस योजना की आलोचना इस आधार पर भी की जाती है कि इससे **सांसदों और नज्जि कंपनयिँ के बीच गठजोड को बढ़ावा** मिलता है, जसिसे **नज्जि परयोजनाओं हेतु धन का दुरुपयोग** होता है, **अयोग्य एजेंसयिँ को धन आवंटति** होता है तथा धन का नज्जि ट्रस्टों में हस्तांतरण होता है।
- **कोई वैधानकि समर्थन नहीं:** MPLAD योजना कसिी भी वैधानकि कानून द्वारा शासति नहीं है, जसिसे यह सरकार द्वारा मनमाने ढंग से कयिे जाने वाले परिवर्तनों के प्रता संवेदनशील है।
- **आलोचना: राष्ट्रीय संवधान कार्यकरण समीक्षा आयोग (2002) और द्ववतीय प्रशासनकि सुधार आयोग (2007)** दोनों ने इसकी समाप्ति की सफ़ारिश की थी।
 - उनका तर्क **इस योजना की केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्ति वविभाजन के साथ असंगतता पर केंद्रति** है।

आगे की राह

- **पारदर्शति और जवाबदेही बढ़ाना:** परयोजना प्रस्तावों, स्वीकृतयिँ और नधिका उपयोग के लिये एक मज़बूत ऑनलाइन ट्रैकिंग प्रणाली लागू की जानी चाहयिे। **नयिमति ऑडिटि एवं सार्वजनकि रिपोर्ट तैयार की जानी चाहयिे।**
- **नागरकि भागीदारी को सशक्त बनाना:** सहभागी बजट तंत्र को बढ़ावा देकर, सामुदायकि मंचों को शामिल करना, जहाँ नागरकि नरिवाचन क्षेत्र के भीतर वविकास आवश्यकताओं की पहचान कर उन्हें प्राथमकिता दे सकते हैं।
- **साक्ष्य-आधारति नरिणय को बढ़ावा देना:** सांसदों को आवश्यकता का आकलन तथा अपने नरिवाचन क्षेत्रों के लिये **सर्वाधकि प्रभावी परयोजनाओं की पहचान के लिये डेटा के उपयोग हेतु प्रोत्साहति करना।**
- **अभसिरण को बढ़ाना:** MPLADS नधियिँ को अन्य केंद्रीय और राज्य सरकार की योजनाओं के साथ अभसिरण करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थति कयिे जाना चाहयिे, जसिसे बड़ी, अधकि टकिऊ परयोजनाएँ बनाने में सहायता मिल सकती है।
 - परयोजना का कुशल क्रयान्वयन सुनश्चिति करने के लिये स्थानीय कार्यान्वयन एजेंसयिँ की क्षमता को मज़बूत कयिे जाना चाहयिे।
- **फंड की कमी को संबोधति करना: फंड की कमी को दूर करने के लिये वैकल्पकि तरीकों पर वचिार कयिे जाना चाहयिे।** फंड को अगले साल के लिये आगे बढ़ाया जा सकता है या अधकि ज़रूरत वाले नरिवाचन क्षेत्रों में ववितरण हेतु राष्ट्रीय पूल (National Pool) में भेजा जा सकता है।

CIC की स्वायत्तता से संबंधित क्या चर्चा है?

- **नियुक्ति प्रक्रिया:**
 - CIC और सूचना आयुक्तों (Information Commissioner's- IC) की नियुक्ति राजनेताओं की एक समिति द्वारा की जाती है, जिससे चयन पर राजनीतिक प्रभाव पड़ने की संभावना रहती है और CIC की निष्पक्षता से समझौता हो सकता है।
- **कार्यकाल और नषिकासन:**
 - RTI अधिनियम में मूल रूप से सूचना आयुक्तों के लिये 5 वर्ष के नश्चित कार्यकाल की गारंटी दी गई थी। हालाँकि RTI (संशोधन) अधिनियम, 2019 में इसे हटा दिया, जिससे केंद्र सरकार को उनके कार्यकाल पर नियंत्रण मिला गया।
 - इससे यह चर्चा उत्पन्न हो गई है कि सरकार इन अधिकारियों को प्रभावित कर उनकी स्वतंत्रता प्रभावित कर सकती है।
- **मुख्य चुनाव आयुक्त को वेतन और भत्ते:**
 - RTI अधिनियम (2005) ने CIC और IC के वेतन को **मुख्य चुनाव आयुक्त तथा चुनाव आयुक्तों** के वेतन से जोड़ दिया।
 - हालाँकि वर्ष 2019 के संशोधन ने इस लिक को हटा दिया, जिससे केंद्र सरकार को उनके वेतन और लाभ तय करने का अधिकार मिला गया। यह बदलाव संभावित सरकारी प्रभाव के बारे में चर्चा पैदा करता है।
- **वित्तपोषण एवं संसाधन:**
 - CIC अपने **बजटीय आवंटन और प्रशासनिक सहायता के लिये केंद्र सरकार** पर निर्भर रहता है, जो CIC की स्वायत्तता एवं प्रभावशीलता को सीमित कर सकती है।
- **प्रवर्तन शक्तियाँ:**
 - CIC के पास सूचना के प्रकटीकरण का आदेश देने तथा अनुपालन न करने वाले अधिकारियों पर दंड लगाने की शक्ति है, लेकिन मज़बूत प्रवर्तन तंत्र का अभाव इन शक्तियों की प्रभावशीलता में बाधा डालता है, जिससे अनुपालन सुनिश्चित करना कठिन हो जाता है।

केंद्रीय सूचना आयोग की मज़बूती हेतु क्या सुधार प्रस्तावित हैं?

- **स्वतंत्र चयन समिति की स्थापना:**
 - चयन समिति में न्यायपालिका, नागरिक समाज और अन्य स्वतंत्र निकायों के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाना चाहिए, जिससे राजनीतिक प्रभाव को कम करने में मदद मिलेगी तथा यह सुनिश्चित होगा कि सक्षम और निष्पक्ष व्यक्ति CIC का नेतृत्व करें।
- **नश्चित एवं गैर-नवीकरणीय अवधि:**
 - नवीनीकरण की संभावना के बिना एक नश्चित अवधि (जैसे 5 वर्ष) प्रस्तावित की जानी चाहिए। साथ ही समय से पहले हटाए जाने के खिलाफ मज़बूत सुरक्षा उपाय होने चाहिए, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि CIC अधिकारी स्वतंत्र रूप से काम कर सकें।
- **वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वायत्तता:**
 - CIC को अलग से बजट आवंटित करके तथा उसका समय पर वितरण सुनिश्चित कर वित्तीय स्वायत्तता प्रदान की जानी चाहिए।
 - उन्हें स्टॉफ की भरती और बुनियादी ढाँचे सहित प्रशासनिक मामलों के प्रबंधन में भी सशक्त बनाया जाना चाहिए।
- **उन्नत प्रवर्तन शक्तियाँ:**
 - उन्हें गैर-अनुपालन के लिये **व्यक्तियों या संगठनों को अवमानना** हेतु दोषी ठहराने की शक्तियाँ प्रदान की जा सकती हैं, **CIC के आदेशों का पालन करने में वफिल रहने वाले सार्वजनिक प्राधिकारियों** पर जुर्माना लगाने की शक्ति और इसके निर्णय को प्रभावी ढंग से लागू करने हेतु एक नषिपादन तंत्र प्रदान किया जा सकता है।

दृष्टिभेद प्रश्न

वर्तमान समय में सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना की प्रासंगिकता पर चर्चा कीजिये।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

????????

प्रश्न. संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (MPLADS) के अंतर्गत नधियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन-से सही हैं? (2020)

1. MPLADS नधियाँ टिकाऊ परिसंपत्तियाँ जैसे- स्वास्थ्य, शिक्षा आदि की भौतिक आधारभूत संरचनाओं के निर्माण में ही प्रयुक्त हो सकती हैं।
2. प्रत्येक सांसद की नधि का एक नश्चित अंश अनुसूचित जाति/जनजाति/जनसंख्या के लाभार्थ प्रयुक्त होना आवश्यक है।
3. MPLADS नधियाँ वार्षिक आधार पर स्वीकृत की जाती हैं और अप्रयुक्त नधि को अगले वर्ष के लिये अग्रपेक्षा नहीं किया जा सकता।
4. कार्यान्वयित हो रहे सभी कार्यों में से कम-से-कम 10% कार्यों का ज़िला प्राधिकारी द्वारा प्रत्येक नरीक्षण करना अनिवार्य है।

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 3 और 4
- (c) केवल 1, 2 और 3

(d) केवल 1, 2 और 4

??????:

प्रश्न. सूचना का अधिकार अधिनियम केवल नागरिकों के सशक्तीकरण के बारे में नहीं है, अपितु यह आवश्यक रूप से जवाबदेही की संकल्पना को पुनः परिभाषित करता है।" वविचना कीजिये। (2018)

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/cic-jurisdiction-over-mplads-funds>

